-31-

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

S.MOS(P)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2010 (BHADRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. सी.-ई एक्स/ई-III/16 (7)/2000/डब्ल्यू बी/सीई/ई ज़ैड--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ई-102 (19) ई/ए दिनांक 17.10.1957 द्वारा मैसर्स जय जूट एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई नुडिया जूट मिल्स, डब्ल्यू बी/36 एवं 47, जिनका पंजीकृत कार्यालय कंथाल पाड़ा, पोस्ट ऑफिस नैहाती, जिला 24 परगना (उत्तर), पिन कोड 743165 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से जोकि मैं उचित समझता हूँ, को प्रदत्त छूट इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निरस्त करता हूँ।

एस. चटर्जी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं संबंधी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर, आयोग द्वारा नियमन-2010

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफ़र मार्ग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 जून 2010

सं. एफ 3-1/2009--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3-वर्ष 1956) के अनुभाग 26 की धारा (ई) एवं (जी)-जोकि इस अनुभाग (i) के अंतर्गत है-तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ-1-1/2008 आई.सी. दिनांक 30 अगस्त, 2008 के अनुसार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1--32/2006 यू.-II/यू.-I(1) जो 31 दिसम्बर, 2008 को जारी की गई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी वे नियमन (जो कि विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध संस्थानों में स्थित शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए) वर्ष 2000 और जो नियमन सं. 3-1/2000 (पी.एस.) दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का है--और जिनमें समय-समय पर जो भी संशोधन किए जाते रहे हैं-इन समस्त को और इन समस्त के प्रतिस्थापन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित नियमों का गठन किया गया है। इनका निम्नलिखित स्वरूप है :--संक्षिप्त उपाधि, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2010 के रूप में जाने जाएंगे। (जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण एवं वे समस्त उपाय सम्मिलित हैं जोकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिणिक स्टॉफ की नियुक्ति से सम्बद्ध, न्यूनतम अर्हताओं से जुड़े हुए हैं।)

1.2 ये समस्त नियमन, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, जोकि केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत् अथवा प्रादेशिक नियम के तहत् अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित हुआ है-अथवा ऐसा संस्थान, जिसमें कि कोई भी संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य है तथा यह समस्त नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श एवं धारा (एफ) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग-2 अधिनियम, 1956 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे जोकि उपरोक्त अधिनियम के अनुभाग-3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है।

1.3 ये समस्त नियमन तुरन्त प्रभावी रूप से लागू होंगे :--

बशर्ते कि एक ऐसी स्थिति में जिसमें कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जोकि कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत इन नियमनों के अनुरूप, 31 दिसम्बर, 2008 को अथवा इसके पश्चात् प्रोन्नति का पात्र हो जाता है-तो उस दशा में ऐसे अभ्यर्थी की प्रोन्नति इन नियमनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी।

और भी, बशर्ते कि इन नियमनों में सम्मिलित प्रावधानों के होने के बावजूद भी, यदि किसी स्थिति में कोई अभ्यर्थी कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत, 31 दिसम्बर, 2008 से पूर्व ही पात्र बन जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत होनी वाली प्रोन्नति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन, 2000 (जो नियमन अनिवार्यत: आवश्यक हैं-ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए जोकि विश्वविद्यालय में अथवा संबद्ध संस्थनों में स्थित हैं।), जोकि इस संदर्भ में समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के द्वारा संशोधित किए जाते रहे हैं, उनको साथ मिलाकर इन नियमनों का अवलोकन करें।

2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक के लिए जो नियुक्तियों से जुड़ी न्यूनतम अर्हताएं हैं तथा जो अन्य सेवा शर्तें हैं-उन सबको उच्च शिक्षा के अनुरक्षण के साधन रूप में माना जाएगा और ये सारी शर्तें-इन नियमनों के संलग्नक में उल्लिखित के अनुसार होंगी।

3. यदि किसी स्थिति में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है-तो उसके परिणामत: जो स्थिति आएगी उसका स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुभाग (14) के प्रावधानों के अनुसार तय होगा :--

यदि, कोई विश्वविद्यालय, अनुभाग (12-ए) के उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा किसी महाविद्यालय को किसी, अध्ययन वाले पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान करता है अथवा किसी भी उपयुक्त अन्तराल के भीतर, अनुभाग-12 अथवा अनुभाग-13 जोकि आयोग द्वारा निर्धारित अनुशंसाओं के प्रावधान हैं-उनका अनुपालन करने में यदि असमर्थ रहता है, अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत लगाई गई शर्त जोकि इन अनुभागों के अंतर्गत उपधारा (1) के तहत् निर्मित किसी भी नियम की अवहेलाना करने वाली हैं-तो आयोग द्वारा उस अवहेलना के कारण पर विचार करने के पश्चात्-जिस कारण से विश्वविद्यालय नियमों के पालन में असमर्थ रहा है अथवा उसकी अवहेलना हुई है-तो उस स्थिति में आयोग द्वारा ऐसे किन्हीं अनुदानों को रोक दिया जा सकता है-जन्हें आयोग की निधि में से प्रदान किए जाने का पूर्व में प्रस्तावित किया गया था।

एन. ए. काज़मी

सचिव

परिशिष्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विनियम, जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षको एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम अर्हताओं के लिए तथा उच्च शिक्षा–2010 के मानकों की देखरेख के उपायों के संबंध में हैं।

इन विनियमों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों की नियुक्तियों के संबंध में उनकी न्यूनतम अर्हताओं एवं अन्य सेवाशर्तों के लिए तथा उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण करने और वेतनमानों के संशोधनों के लिए जारी किया गया है।

1.0 कवरेज

1.1.1 जो शिक्षक–कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान संकायों में हैं, उनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे, चिकित्सा, नर्सिंग और आयुष के संकायों में स्थित शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; शिक्षा संकाय के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के परामर्श से निर्मित मानदण्ड/नियमन लागू होंगे।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, फार्मेसी एवं प्रबन्धन/व्यवसाय प्रशासन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; और पुनर्वास के क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री–पी.जी. डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हताएँ, मानदण्ड/नियमन –जिनका परामर्श अखिल भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा किया जाएगा–वे ही लागू होंगे।

2.0.0 वेतनमान, वेतन निर्धारण फार्मूला एवं सेवानिवृत्ति आयु आदि

2.1.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जिन संशोधित वेतनमानों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में अनुरक्षित एवं/अथवा निधियन किया जाता है जिनमें अन्य सेवा शर्तें जिनमें सेवानिवृत्ति आयु की शर्त भी शामिल है–यह पक्की तौर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार ही लागू होगा। (**परिशिष्ट–I** में सम्मिलित)

2.2.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित "वेतन निर्धारण सूत्र" जिसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है (जैसा कि परिशिष्ट–II में सम्मिलित है।), वह वेतनमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों मे लागू रहेगा।

2.3.0 समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में तथा ऐसे समस्त सम विश्वविद्यालय, जिनका अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाया जाता है–वहाँ पर स्थित पुस्तकालयों में तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभागों में स्थित शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण का वही फ़ार्मूला लागू रहेगा जो फ़ार्मूला अन्य सामान्य शिक्षकों के लिए है।

2.3.1 जैसा कि धारा 2.1.0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है–संशोधित वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति आयु–इन शर्तों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो एवं उच्च शिक्षण संस्थानों तक विस्तारित किया जाएगा–ऐसे संस्थान जो कि राज्यों के विधानों के विचार क्षेत्र में आते हैं–बशर्ते कि इस योजना को संयुक्त रूप से लागू किया जाए–जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं के समर्थन में हों। इन अधिसूचनाओं को परिशिष्ट–I में एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं0 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 में उल्लिखित है–और जो समस्त शर्तें प्रस्तुत नियमनों व अन्य दिशा–निर्देशों में विशिष्टीकृत हुई हैं।

2.3.2 कुछ शिक्षक, जो सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अनुबन्धात्मक नियुक्ति पर पुनः सेवारत किया जा सकता है–जो कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान के नियमानुसार होगा–और ऐसी नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक सीमित होगी। ये समस्त नियुक्तियाँ, रिक्त स्थानों की उपलब्धता एवं ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों की शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर होंगी।

बशर्ते कि ऐसी रागस्त पुनः नियुक्तियाँ, तथ्यात्मक तौर से, उन समस्त दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी–जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं।

2.3.3 ऐसे कुछ आयाम जो कि इन नियमनों में सम्मिलित नहीं हुए हैं–जैसे अनुप्रयुक्तता, वित्तीय सहायता, संशोधित वेतन एवं भत्तों को लागू करना तथा शेष बकाया रकम का भुगतान किया जाना आदि–ऐसी समस्त बातों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं में अभिव्यक्त (परिशिष्ट–I) के तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 के समान ही होंगे।

3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ

3.1.0 सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात, उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।

3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिएँ

3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुकरण; किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।

3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी।

बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा–अनिवार्य नहीं होगी–जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर, सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं–उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो–उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलबध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

4.0.0 सीधे तौर से भर्ती

4.0.0 प्रोफेसर

(अ)

(i) एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पीएच0डी0 में अर्हता अपने राम्बद्ध/समवर्गी/प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ

का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ हों--पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र हैं।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो; अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच0डी0 स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

(iii) शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी--माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया।

(iv) शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) जो कि इन नियमनों के परिशिष्ट–III में व्यक्त की गई है।

अथवा

ब. एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएँ

4.2.0 प्रिंसिपल

(i) स्नातकोत्तर की डिग्री–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (तथा जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो, उसके अनुसार समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल में हो) किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत--जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो)।

(iii) कोई भी व्यक्ति जो सह प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर रहा हो–जिसका उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों अथवा अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षो का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।

(iv) जैसा कि इन नियमनों के अंतर्गत परिशिष्ट--III में, महाविद्यालयों में, प्रोफेसरों की सीधे तौर पर नियुक्ति के विषय में निर्दिष्ट किया गया है तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के अनुसार है–इन सब पर आधारित एवं निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार।

4.3.0 सह–प्रोफेसर

(i) पीएच0डी0 डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकॉर्ड–जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी "पॉइन्ट स्केल" के अंतर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

(iii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएच0डी0 के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएँ जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों।

(iv) अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मेषी डिज़ाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया है।

(v) जैसा कि इन नियमनों (परिशिष्ट–III) में निर्दिष्ट किया गया है, तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली पर इंगित रहता है–इन सब के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होने अनिवार्य है।

4.4.0 सहायक प्रोफेसर

4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार

(i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती

है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

(iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए नितान्त अनिवार्य है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्ते जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं–उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।

4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हो–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस. आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्ते विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।

3—249 GI/2010

(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है—उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी।

अथवा

(i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है—और जिसके द्वारा किया गया हो—

(अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो—तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है :

(ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा

(स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्क्रिक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र' माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड तथा पीएच0डी0 डिग्री में तथा उसमें उच्च व्यावसायिक मानकों से युक्त अभिनय क्षमता हो।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन करने का अथवा शोध करने का 8 वर्ष का अनुभव हो जो अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसमें कि उसने अपनी शोध उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) उसकी प्रकाशित रचनाओं में इस बात को साक्ष्य मौजूद हो कि अपने विशिष्ट विषय में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षणिक नवोन्मेषों जैसे नूतन पाठ्यक्रमों को अभिवन्यस्त करना—इसमें योगदान किया हो एवं/अथवा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अद्वितीय अभिनय की उपलब्धि प्राप्त की हो/किया हो।

अथवा

(i) एक ऐसा परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसे अपने विषय विशेष में, उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक उपलब्धि हो–और जो होना चाहिए–अथवा रहा हो–

(अ) आकाशवाणी/दूरदर्शन का "ए" स्तर का कलाकार।

(ब) अपने विशेषीकृत विषय में अभिनय से जुड़े उत्कृष्ट उपलब्धियों से सम्बद्ध 8 वर्ष की अवधि का समय रहा हो।

(स) नवीन पाठ्यक्रमों एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव

(ड) प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलन में भागीदारी।

(इ) अपने विषय विशेष की ताक्रिक व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता तथा उस विषय से जुड़े सिद्धांतों को चित्रों की सहायता से उस विषय में प्रर्याप्त तौर से अध्यापन कराना।

3. **प्रोफेसर :**

i एक सुप्रसिद्ध विद्वान, जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय तौर से लगा हुआ है, किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/अथवा अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव–जिसमें कि शोध स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव तथा अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन

अथवा

ii एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसने अपने विषय विशेष में उत्कृष्ट तौर से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है या जिसके पास निम्नलिखित अनुभव रहा है/है–

(अ) "ए" ग्रेड कलाकार–आकाशवाणी/दूरदर्शन

(ब) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन युक्त उपलब्धियों का 12 वर्ष का अनुभव।

(स) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य में मार्गदर्शन करने की क्षमता।

(ड) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृत्ति के प्रापतकर्ता एवं

(इ) विषय विशेष को लेकर उसकी तार्किक युक्तियुक्त व्याख्या की क्षमता एवं उस विषय विशेष के सिद्धान्तों के पक्ष को चित्रों के माध्यम से अध्यापन करने की क्षमता।

4.4.2.2 नाटक संबंधी विषयवस्तु

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो `प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2000 के अनुसार है–(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे–जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीण्र हो जाने की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं–उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं–जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो–

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा–जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो–
2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा गठित, किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इस लक्ष्य के लिए जो अनुशंसाएँ की गई हैं–उनके अनुरूप ही उसका अकादमिक रिकॉर्ड–जो कि शोध डिग्री सहित हो–तथा उसमें उत्कृष्ट व्यावसायिक मानकयुक्त निष्पादन की क्षमता हो।

(ii) अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त 8 वर्ष का अनुभव, किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं/अथवा शोध कार्य जो किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में किया हो–वह शामिल होना चाहिए

(iii) उसके द्वारा अपने प्रकाशनों द्वारा इस बात का साक्ष्य प्रकट होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने विशिष्ट विषयवस्तु में उस से जुड़े महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक योगदान किए हैं। इनमें, शैक्षिक नवोन्मेषी बातें–जैसे नवीनपाठ्यक्रमों का रूपांकन और/अथवा पाठ्य विषयों का रूपांकन और/अथवा अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में निष्पादन सहित अद्वितीय उपलब्धियाँ, सम्मिलित हों।

अथवा

(iv) वह व्यक्ति परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाविद् हो जिसके पास उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो–तथा जिसके पास विद्यमान हो/अथवा जो निम्नवत् हो–

1. रंगमंच/रेडियो/दूरदर्शन का जाना पहचाना कलाकार
2. अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियों का आठ वर्ष का अनुभव
3. नवीन पाठ्यक्रमों और/अथवा विषयवस्तु का रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी एवं
5. उसमें अपने सम्बद्ध विषयवस्तु की तार्किक युक्तिसंगत रूप की व्याख्या करने की क्षमता हो, इस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष को उदाहरणों की सहायता से अध्यापन करने के लिए पर्याप्त समझ/ज्ञान हो।

3. प्रोफेसर

(i) ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान--जिसके पास शोध डिग्री हो, जो सक्रिय रूप से शोध कार्य में रत हो, जिसके पास, विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में 10 वर्ष का अध्यापन एवं/अथवा शोध का अनुभव हो, जिसमें शोध स्तर के विद्वानों का शोध में मार्गदर्शन करने का अनुभव हो तथा अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में जिसके निष्पादन द्वारा अद्वितीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हों।

अथवा

(ii) जो एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में हो, और जो कि निम्नलिखित हो– अथवा उसके पास हो–

1. अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में 12 वर्ष का निष्पादन से जुड़ा अद्वितीय कोटि का अनुभव
2. उसने अपने विशिष्ट विषय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो तथा उसमें शोध कार्यो का मार्गदर्शन करने की योग्यता है।
3. जिसने, राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भाग लिया, एवं/अथवा जिसमें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियाँ प्राप्त की हैं।
4. अपने संबद्ध विषय क्षेत्र की तार्किक युक्ति संगत पक्ष की व्याख्या करने की क्षमता हो तथा उदाहरणों द्वारा सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु

1.सहायक प्रोफेसर

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस. आई.आर.द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.23 में जो उपधाराओं के एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या

तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पी.एच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है।

अथवा

1. **सहायक प्रोफेसर**

वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ठ रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए–

1. भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा
2. नियमित रूप से क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/ कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो– जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं,
3. अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्क्रिक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) जिसका श्रेष्ठ शैक्षिक रिकॉर्ड और जिसके पास शोध डिग्री हो, जिसमें उच्च व्यावसायिक मान की निष्पादन योग्यता है।

(ii) जो अवधि शोध डिग्री एम.फिल/पीएच0डी0 प्राप्त करने में लगाई है– उसके अतिरिक्त उसके पास, किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में किये गए अध्यापन एवं शोध करने का कुल 6 वर्ष का अनुभव हो।

(iii) उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकाशनों की गुणवत्ता द्वारा यह साक्ष्य आना चाहिए कि उसने अपने सम्बद्ध विषय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षिक नवोन्मेषी बातों का योगदान – जैसे कि नवीन पाठ्यक्रमों का रूपांकन एवं/ अथवा पाठ्य विवरणों एवं/ अथवा अपने विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्रों में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियाँ।

65

अथवा

(v) ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसकी अपने संबद्ध विषय विशेष में उच्च स्तरीय प्रशंसनीय उपलब्धि है–तथा जिसके पास हाने चाहिए–

1. वह एक मान्यता प्राप्त कलाकार पुरूष/महिला–अपने विषय विशेष में हो
2. उनके अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में निष्पादन उपलब्धियों की अद्वितीय श्रेणी
3. नवीन पाठ्यक्रम एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी
5. अपने संबंद्ध विषय की तार्किक वस्तु स्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए चित्रों द्वारा सहायता करने के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो।

3. प्रोफेसर

(i) एक ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त हो, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्यापन एवं/ अथवा शोध कार्य का अनुभव हो– जिसमें शोध स्तर पर शोध कार्य के निर्देशन का अनुभव हो तथा जिसकी अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन उपलब्धि हो।

अथवा

(ii) एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार जिसे अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि है–तथा जिसके पास होना चाहिए–

1. नियमित रूप से क्षेत्रीय /राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने में 12 वर्ष का अनुभव – जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हो
2. अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य के निर्देशन की योग्यता हो–
3. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी, एवं/ अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृतियों के प्राप्तकर्ता–एवं
4. अपने संबद्ध विषय में तार्किक रूप से वस्तुस्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में उदाहरणों सिद्धांत पक्ष के अध्यापन की क्षमता।

4.4.3 व्यावसायिक चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ –

1. सहायक प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.ओ.टी.बी.) (टी.एच.ओ/बी.ओ.टीएच) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टीएच.ओ.)एम.एस.सी.ओ.टी./एम.ओ. टी.) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है –वहाँ एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो।

2. सह–प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्त्र (एम.ओ.टी./एम.ओ.टी.एच./एम.एस.सी.ओ.टी) जिसे सहायक प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 जो कि व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में हो– जिसे यू.जी.सी. की मान्यता प्राप्त हो। जिसका प्रकाशित कार्य उच्चत्तर स्तर का हो।

3. प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी./एम.ओ.टीएच/एम.टीएच. ओ/ एम.एस.सी.ओ.टी.) जिसमें कुल 11 वर्ष का अनुभव हो जिसमें सह– प्रोफेसर के रूप में (व्यावसायिक चिकित्सा) 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा/विषय में उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 तथा उच्च कोटि का प्रकाशित कार्य।

4. प्रिंसिपल/निदेशक/डीन :

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी./एम.टीएच.ओ/एम.ओ. /एम.एस.सी.ओ.टी.)जिसके साथ 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के पद पर हो।(व्यावसायिक चिकित्सा)

(i) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल/निदेशक/डीन होगा।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी शाखा/विषय में उच्चतर अर्हता जैसे पी.एच.डी./स्वतंत्र रूप से उचित, प्रकाशित रचना जो उच्च मानक वाली हो।

4.4.4 शारीरिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ, अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ :

1. **सहायक प्रोफेसर**

(i) चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.पी./टी./बी.टी.एच./पी/बी.पी.टी.एच) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी.एच/एम.एस.सी.पी.टी./एम.पी.टी.) जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हैं(अथवा किसी भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किये जाने की स्थिति में किसी एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो डिग्री किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से होनी चाहिएँ

2. **सह–प्रोफेसर**

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी/एम.पी.टी.एच/एम.टी.एच.पी./एम.एस.सी.पी.टी) जिसमें कि सहायक प्रोफेसर के रूप में कुल 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य शरीर चिकित्सा की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी./ उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य।

3. **प्रोफेसर :**

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी./एम.पी.टी.एच./एम.टी.एच.पी/एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ 11 वर्ष का कुल अनुभव हो, जिसमें सह–प्रोफेसर के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव शामिल हो।(शरीर चिकित्सा)

(ii) वांछनीय : शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पीएच0डी0 जो कि यू.जी.सी. द्वारा मान्य है। उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से उचित प्रकाशित कार्य।

4. प्रिंसिपल / निदेशक / डीन

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी. / एम.पी.टी.एच. / एम.टी.एच.पी / एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ कुल 15 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें प्रोफेसर (शरीर चिकित्सा) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल /निदेशक / डीन होंगे।

(iii) वांछनीय :यू.जी.सी. द्वारा , शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी. / उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से रचित प्रकाशित कार्य।

4.4.5 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ –प्रबंधन / वाणिज्य प्रशासन :

1. सहायक प्रोफेसर

(i) अनिवार्यताएँ

1. वाणिज्य प्रबन्धन / प्रशासन / किसी भी सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पी.जी.डी.एम दो वर्षीय पूर्ण कालिक जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समस्तरीय घोषित किया जा चुका है। जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा /यू.जी.सी. द्वारा भी समस्तरीय घोषित की जा चुकी है।

अथवा

2. प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक एवं व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / कौस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट / कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकायों से हों।

(ii) वांछनीय

1. अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं / अथवा व्यावसायिक अनुभव, किसी एक प्रतिष्ठित संगठन में–

2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र अथवा उल्लिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित।

2. सह प्रोफेसर

i सुसंगत रूप से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक (जहाँ भी ग्रेड़िग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर पॉइन्ट स्केल में एक

समस्तरीय ग्रेड) जो कि स्नातकोत्तर डिग्री में हो– जो वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन /किसी एक सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.जी. डी. एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण – जिस पी.जी.डी.एम. को ए.आइ.यू. द्वारा समस्तरीय घोषित किया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रदान की है।

अथवा

प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं व्यावसायिक तौर से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट /कंपनी सचिव जो कि संविधिक निकाय का हो।

ii पीएच0डी0 हो, अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान का संघीय सदस्य है अथवा किसी भीऐसे संस्थान का सदस्य, जिस संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता दी गई हो तथा ए.आइ.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित किया गया है।

iii न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन/उद्योग संस्थान /शोध /प्रबन्धात्मक स्तर पर व्यावसायिक अनुभव – जो अवधि, उसके द्वारा प्राप्त शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त होनी चाहिएँ

iv यदि किसी स्थिति में, वह अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है, तो निम्न अनिवार्यताएँ, आवश्यक रूप से आंगिक बनी रहेगी :–

1. वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन/किसी प्रबन्धन से जुड़े सापेक्ष विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.डी.एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो– जो पाठ्यक्रम ए. आई.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित कर दिया गया है। जिसे ए.आइ.सी.टी.ई/यू.जी. सी.द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है– इसके साथ–साथ लगातार उसका शैक्षिक रिकॉर्ड श्रेष्ठ हो– जहाँ कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (या इसके समतुल्य ग्रेड –एक ऐसे पाइन्ट स्केल के अन्तर्गत जहाँ पर ग्रेडिग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक तथा व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो किसी भी सांविधिक निकाय में हो।

2. किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पाँच वर्ष की अवधि सहायक प्रोफेसर के रूप में रही हो--जो कि उसकी अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त हो। अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएच0डी0 के समतुल्य माना जाता है तथा इसके साथ ही उद्योग/व्यवसाय में दस वर्ष का सप्रबन्धन का अनुभव हो जिसमें कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के समतुल्य स्तर पर कार्य किया हो।

v उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना गया है :

अ) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक अनुभव हो।

ब) प्रकाशित रचना हो, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें/अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं

स) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों की शोध रचना/शोध प्रबन्ध अथवा उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में परिवीक्षण कार्य करना

3. **प्रोफेसर**

i) वाणिज्य प्रबन्धन/प्रशासन जो किसी भी सापेक्ष विषय में हो – इन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर निरन्तर स्थिर रूप में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (और जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो--वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि पूर्णकालिक पी.जी.डी.एम के दो वर्षीय क्रम को पूरा किया हो–जो कि ए.आइ.यू. द्वारा समतुल्य घोषित है/जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा /यू.जी.सी. द्वारा मान्य है।

अथवा

वह प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक हो एवं व्यावसायिक तौर से योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकाय में हो।

i) पीएच0डी0 हो अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा किसी ऐसे संस्थान का शिक्षावृत्ति भोगी हो–जिसे कि ए.आइ.सी.टी.ई. द्वारा मान्य किया गया हो एवं जिसे ए.आइ.यू द्वारा समतुल्य घोषित कर दिया गया है।

ii) किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध में/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुाव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि रीडर अथवा इसके समतुल्य पद पर हुई हो–जो अवधि इसके द्वारा प्राप्त की गई शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त हो।

iii) संयोजन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा अकादमिक शोध को संगठित करने का तथा शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को संगठित करना।

v) नेतृत्व द्वारा प्रवर्तित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने की क्षमता।

4. प्रिंसिपल/निदेशक/संस्थान का प्रमुख

i इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जैसे कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–जिसके साथ स्नातकोत्तर अध्यापन/उद्योग/शोध में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिएँ

अथवा

ii 1. इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जो कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–और वह व्यक्ति उद्योग/व्यावसायिक प्रणाली से हो–और उसे स्नातकोत्तर अध्यापन/शोध का 15 वर्ष का अनुभव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि, अनिवार्यतः उसी विषय में रत एक प्रोफेसर के पद पर रही हो।

iii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :

1. उद्योग/व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वरिष्ठ स्तर के पद पर दायित्व पूर्ण स्थिति में प्रशासनिक अनुभव हो।

5. एक सात अंक पैमाने के लिए ग्रेड अंक की तुल्यता :

यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जहाँ पर विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा परिणामों को–जो कि ग्रेड अंक सात के पैमाने पर हैं–उनमें परिणाम घोषित करने के लिए निम्न व्यवस्था, प्रतिशत में बराबर के निशान का पता लगाने में संदर्भित किया जाएगा :

ग्रेड	ग्रेड पाइन्ट	प्रतिशतता समतुल्यता
'ओ' अद्वितीय	5.50–6.00	75–100
'ए' अत्यन्त श्रेष्ठ	4.50–5.49	56–74
'बी' उत्तम	3.50–4.49	55–64
'सी' औसत	2.50–3.49	45–54
'डी' औसत से नीचे	1.50–2.49	35–44
'ई' घटिया	0.50–1.49	25–34
'एफ' असफल	0.0–0.49	0–24

6. **चयन समिति :**

जैसा कि यू.जी.सी. द्वारा नियमनों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, चयन समिति उसी के अनुरूप होनी चाहिएँ

4.4.6.1 इंजीनियरिंग एवं प्रोद्योगिकी विषयों में अध्यापन संकाय की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ :

1. **सहायक प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

ii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :–

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन/औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया गया शोध कार्य।
2. प्रपत्र जो कि सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए/विचारार्थ भेजी गई पत्रिकाएँ।

2. **सह प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा पीएच0डी0 डिग्री एवं प्राध्यापक अथवा समतुल्य स्तर पर, अध्यापन शोध/उद्योग में आठ वर्ष का अनुभव–जिसमें वह अवधि अतिरिक्त रहेगी जो कि शोध डिग्री को प्राप्त करने में व्यतीत की गई है।

अथवा

ii एक ऐसी स्थिति जहाँ, अभ्यर्थी या तो उद्योग से है अथवा किसी व्यवसाय से है—तो निम्न प्रावधान अनिवार्य रूप से आंगिक माने जाएँगे :—

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सापेक्ष शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसा महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य जो कि एक पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्य हो, जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा से जुड़ा हो—और प्राध्यापक स्तर के समकक्ष, औद्योगिक/व्यावसायिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव।

बशर्ते कि, इस प्रकार के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी अवस्था में वैध मानी जाएगी—यदि इसकी अनुशंसा एक 3 सदस्यीय समिति जो विशेषज्ञों की हो, उसके द्वारा की गई—जो विशेषज्ञ समिति उप—कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना जाए —

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित कार्य, जैसे कि शोध पत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,

3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।

3. **प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण डिग्री तथा पीएच0डी0 डिग्री जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा में हो तथा अध्यापन अथवा शोध एवं/अथवा उद्योग में हो दस वर्ष का अनुभव—जिसमें से सहायक प्रोफेसर या रीडर अथवा समकक्ष ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

ii यदि वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से जुड़ा है—तो निम्नलिखित बातें आंगिक रूप से अनिवार्य होंगी :—

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

2. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसको कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है,– जो कार्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में किया गया हो; एवं औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जिसकी दस वर्ष की अवधि हो–और जिसमें कम से कम पाँच वर्ष सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर के रूप में हों।।

बशर्ते कि, उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी–यदि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यीय समिति द्वारा एकमत से की गई हो, जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय समझा जाए :–

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर के शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन/शोध छात्रों का मार्गदर्शन अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
4. शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के संयोजन एवं संगठन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा
5. शोध एवं विकास की, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को हाथ में लेने की/नेतृत्व करने की क्षमता।

4.4.6.2 जैव प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी) विषय

1. सहायक प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त/सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

2. इन विषयों में जो कि अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञान के अन्तर्गत हैं–इनमें से किसी एक में पीएच0डी0 डिग्री–

सूक्ष्म जीव विज्ञान–जैव रसायन–आनुवंशिकी–

आणवि जीव विज्ञान–औषधि निर्माण–जीव भैतिकी–

अथवा

3. एक श्रेष्ठ आकदमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक समकक्ष ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हों उनके अपने संबद्ध विषय में–जो डिग्री भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

ii उपरोक्त अर्हताओं को पूरित करने से पूर्व, अभ्यर्थियों द्वारा नेट की पात्रता परीक्षा जो प्राध्यापकों के लिए, यूजीसी, सी.एस.आइ.आर., अथवा इसी समान के परीक्षण जो यू0जी0सी द्वारा प्रत्यायित हैं–इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

iii **वांछनीय है :**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव
2. सम्मेलनों एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत प्रपत्र।

2. सह–प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योग में आठ साल सका अनुभव जो कि प्राध्यापक स्तर अथवा इसके समकक्ष स्तर का हो–तथा इसमें वह अवधि अतिरिक्त होगी जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगी है।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से होगा तो निम्न बाते अनिवार्य होंगी –

1. इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की संबद्ध शाखाओं में से किसी एक में किया गया ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है तथा आठ वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव हो जो कि एक प्राध्यापक स्तर के समकक्ष होना चाहिएँ

बशर्ते कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति के लिए जो मान्यता होगी वह उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी—यदि उसे एकमत से किसी 3 सदस्य वाली समिति ने अनुशंसित किया है जिस समिति की नियुक्ति उप—कुलपति द्वारा हुई है।

iii वांछनीय है :

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में 'अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित रचना जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें एवं2अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर का शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. प्रोफेसर

i अनिवार्य :

i इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखाओं में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्रियां, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योगों में दस वर्ष का अनुभव—जिसमें से कम से कम 5 साल का अनुभवा सहायक प्रोफेसर, रीडर अथवा समकक्ष स्तर पर हो।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है—तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य होंगी :—

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसी महत्वपूर्ण रचना जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य किया जा सके और औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जो कि दस वर्ष का हो—जिसमें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर का हो।

बशर्ते कि, उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता केवल उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी—यदि वह 3 सदस्यों की समिति द्वारा एकमत से अनुशंसित की गई हो, जिस समिति को उप—कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,।
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन का अनुभव, या शोध प्रबन्ध जो स्नातकोत्तर स्तर की है अथवा शोध छात्रों का मार्गदर्शन या शोध एवं विकास परियोजनाओं का उद्योगों में पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन से जुड़ा प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना।
5. समर्थित शोध एवं विकास गतिविधियों, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व संभालना तथा उनका नेतृत्व करना।

4.4.6.3 औषध विज्ञान का विषय

1. सहायक प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. औषध विज्ञान में आधारभूत डिग्री।
2. औषध विज्ञान अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है तथा जिसमें अग्रवर्ती समय के दौरान होने वाले अधिनियमन भी सम्मिलित हैं—उसके अंतर्गत एक फ़ार्मेसी विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण कराना।
3. फ़ार्मेसी की किसी भी उपयुक्त एवं संबद्ध शाखा में विशेषज्ञता सहित प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री

ii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध–औद्योगिक/व्यावसायिक स्तर पर अनुभव।
2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत।

2 सह प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।

2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है – जिसमें अग्रवर्ती समय में अधिनियम सम्मिलित होते रहे हैं–उस अधिनियम के अंतर्गत एक फ़ार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण।
3. फ़ार्मेसी की किसी शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातक स्तर एवं/अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा पीएच0डी0 एवं प्राध्यापक अथवा समकक्ष ग्रेड के स्तर पर अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक रूप से 8 वर्ष का अनुभव हो जिसमें वह अवधि सम्मिलित नहीं है जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगाई गई थी।

बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह, विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐससी स्थिति जो कि उपकुलपति द्वारा नियुक्त की गई है।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग से अथवा व्यवसाय से जुड़ा है तो निम्नलिखित अनिवार्य रूप से पालन होगा :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. ऐसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक रचना जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्यता दी जाए–जो कि फार्मेसी की विशेषज्ञता वाली किसी शाखा में हो और इसके साथ उद्योग में/व्यावसायिक अनुभव जो प्राध्यापक स्तर के समकक्ष का हो और 8 वर्ष की अवधि का हो।
बशर्ते कि उन महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता केवल मात्र उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी जबकि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा एक मत से की गई हो–जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii **वांछनीय**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध अथवा औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध, पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें, तथा
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन अथवा उद्योग में शोध व विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. प्रोफेसर

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।
2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ है – जिसमें आगे के समय में अधिनियम सम्मिलित हैं।
3. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध शाखा में विशेषज्ञता वाली प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री और पीएच0डी0 डिग्री–इसके साथ ही प्राध्यापक अथवा इसके समकक्ष स्तर वाला 10 वर्ष का अनुभव हो–जो कि अध्यापन, उद्योग एवं/अथवा व्यवसाय में हो।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में अभ्यर्थी का संबंध उद्योग से अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य रूप से लागू मानी जाएँगी :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री एवं
2. फार्मेसी की किसी भी संबद्ध उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता का ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य हो, एवं उद्योग एवं/व्यावसायिक अनुभव–5वर्ष का–जोकि एक वरिष्ठ स्तर का हो तथा तुलनात्मक रू॰ से सहायक प्रोफेसर/रीडर का हो।
   बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐसी समिति जो कि उप–कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन का अथवा औद्योगिक शोध/एवं व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें।
3. स्नातकोत्तर अथवा शोध छात्रों की परियोजना कार्य, शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन करना अथवा उद्योग में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन, एवं अकादमिक, शोध, औद्योगिक/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं
5. समर्थित शोध एवं विकास कार्यों, परामर्श से संबद्ध कार्यों की एवं सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व उठाने की क्षमता।

किसी भी संदेह के निराकरण के लिए यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति किया जा रहा है कि :–

1. यदि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तरों पर, वर्ग अथवा श्रेणी घोषित नहीं किए गए हैं तो >=60% का समुच्चय अथवा समतुल्य संचयी ग्रेड पॉइन्ट औसत (सी.जी.पी.ए.) को ही प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जाएगा।
2. एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक 10 पॉइन्ट स्केल पर छात्रों/अभ्यर्थियों को सी.जी.पी.ए. प्रदान होता है–तो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एक समतुल्याता की तालिका उपलब्ध कराई जाएगी–जिस तालिका का अनुसरण, श्रेणी जो प्राप्त की गई है–उसको निर्धारित करने के लिए उपरोक्त 1 के अनुसार किया जाएगा।

4.4.7 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमनों के अन्तर्गत संकाय स्तरों के लिए जो अर्हताएँ निर्धारित हुई हैं :–

ए. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रिंसिपल/अध्यक्ष (बहु–संकाय अवस्थिति में)

(अ) शैक्षिक एवं व्यावसायिक अर्हता वही होगी जैसे कि प्राध्यापक के पद के लिय निर्धारित की गई है;

(ब) शिक्षा के विषय में पीएच0डी0 तथा

(स) दस वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थान में अध्यापन का हो।

बशर्ते कि, यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्ड के अनुसार, जो कि प्रिंसिपल/अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए है–यदि सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं उपलब्ध रहते हैं–उस स्थिति में अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों/अध्यक्षों को शिक्षा विभाग में अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त किए जाने की अनुमति होगी–जो नियुक्ति एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी 65 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है।

ii) सहायक प्रोफेसर

(अ) आधार पाठ्यक्रम

1. विज्ञान/मानविकी/कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत समतुल्य ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

2. स्नातकोत्तर "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी भी पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. कोई भी अन्य अनुबद्धता जो कि यू0जी0सी0/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के लिए निर्धारित किए गए हों—तो वे अनुबद्धताएँ अनिवार्य होंगी।

अथवा

1. शिक्षा के विषय में 55 प्रतिशत अंक जो स्नातकोत्तर पर हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है);
2. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी.एड. (अथवा एक पॉइन्ट सकेल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किय जा रहा है) तथा
3. प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की गई है, वह अनिवार्य होगी।

ब. प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम

1. इस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड—जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।
2. "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. प्रिंसिपल एवं प्राख्याताओं के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी, इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की जाती रही है—वह अनिवार्य रहेंगी।
   बशर्ते कि, नयूनतम एक प्राध्यापक के पास "आइ.सी.टी." में विशेषताएँ होनी चाहिए तथा एक अन्य प्राध्यापक के पास विशिष्ट शिक्षा में विशेषताएँ होनी चाहिएँ

बी. एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रोफेसर/अध्यक्ष

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड—जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

ब. शिक्षा में पीएच0डी0 एवं

स. विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षा महाविद्यालयों में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो–जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि एम.एड. स्तर पर प्रकाशिता रचना को लेकर–जो कि उस विद्वान के विशेषज्ञता क्षेत्र में हो–होनी चाहिएँ

बशर्ते कि, उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार यदि प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर की नियुक्ति के लिए सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में–इस बात की अनुमति रहेगी कि किसी भी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर जो शिक्षा के विषय में हो–उसे अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त कर लें, जो कि एक समय में 1 वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं होगी और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय बिन्दु तक जब तक वह 6 वर्ष तक पहुँचता हो–वह नियुक्त रहेगा।

ii) सह–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–अथवा

एम.ए.(एजुकेशन) एवं बी.एड. जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा हो)

ब. "एजुकेशन" में पीएच0डी0 तथा

स. विश्वविद्यालय के एजुकेशन विभाग में अथवा एजुकेशन महाविद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन का अनुभव–जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एम.एड. स्तर पर रहे हों एवं उसके द्वारा अपनी विशेषज्ञता के सापेक्ष क्षेत्र में प्रकाशित रचनाएँ हों।

iii) सहायक–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–

अथवा